न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 24/2024
दायर दिनांक : 05/08/2024
निर्णय दिनांक : 09/10/2025

उनवान

1 गोपीलाल पिता भगवानलाल मेनारिया निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार भूपालसागर
2 कमललाल पिता भगवानलाल मेनारिया निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चोरवडी में दर्ज खाता संख्या 91 से आराजी संख्या 100 रकबा 0.05 है0 आराजी संख्या 101 रकबा 0.31 है0 आराजी संख्या 98 रकबा 0.26 है0 आराजी स0 99 रकबा 0.44 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.06 है0 स्थित है उक्त आराजियात प्रार्थी के 1/2 प्रार्थी के भाई अप्रार्थी स0 02 के 1/2 हिस्से से दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड है जिसमें प्रार्थी का नाम खेंगार पुत्र भगवान दर्ज बता रखा है। प्रार्थी का नाम उक्त आराजियात में खेंगार पुत्र भगवान मन मकसुद अंकित किया। प्रार्थी का प्रचलित व दस्तावेजी नाम गोपीलाल पिता भगवान मेनारिया है जो दुरूस्त व सही अंकित किया जाना खेंगार पिता भगवान के बजाय गोपीलाल पिता भगवानलाल मेनारिया है चूकि प्रार्थी को आराजियात को आबादान करने, के.सी.सी. लेने आदि के लिए दस्तावेजी नाम की जरूरत है इसलिए प्रार्थना है कि उक्त आराजियात के खाते में प्रार्थी का नाम खेंगार पुत्र भगवान के बजाय गोपीलाल पुत्र भगवानलाल ब्राहाण सा. देह खातेदार अंकित किया जाना फरमावें खेंगार नाम का और कोई व्यक्ति नही है न था। प्रार्थी ने ग्राम चोरवडी की आराजी स0 1064 आदि में भी प्रार्थी का गलत नाम खेंगार पुत्र भगवान दर्ज था उसे अदालत आप से प्रकरण स0 16/2021 से निर्णय दिनांक 04.01.2024 को अपना नाम खेंगार की बजाय गोपीलाल कराया जिसके निर्णय की प्रति उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त खाते मे नाम दुरूस्ती रह गई जिससे यह प्रार्थना पत्र और लाना पडा। गलत अंकन की जानकारी आज ही जमाबंदी की नकल लेने से हुई जिससे बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थनापत्र आज दिनांक 25.06.2024 को पेश है। अप्रार्थी स0 2 मुझ प्रार्थी का सगा भाई है जिससे मेरा नाम सही अंकित कराने में किसी प्रकार का कोई एतराज नही है जिसकी सहमति है। प्रार्थना पत्र आवश्यक न्याय शुल्क मय हलफनामा तलबी तलवाना नकलों के अंदर मयाद अदालत समायत पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स0 1 ने न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण सं. 16/2021 के निर्णय अनुसार शुद्धि की जाने में कोई एजराज नहीं होना बताया। अप्रार्थी सं. 2 से प्रार्थना पत्र अनुसार शुद्धि की जाने में कोई एतराज नहीं होना बताकर सहमति के हस्ताक्षर किये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.13 14:01:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए प्रार्थी का नाम खेंगार पिता भगवान के बजाए गोपीलाल पिता भगवानलाल ब्राहम्ण किए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी स0 1 ने न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण सं. 16/2021 के निर्णय अनुसार शुद्धि की जाने में कोई एजराज नहीं होना बताया। अप्रार्थी सं. 2 से प्रार्थना पत्र अनुसार शुद्धि की जाने में कोई एतराज नहीं होना बताकर सहमति के हस्ताक्षर किये।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, भूपालसागर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम चोरवड़ी की खाता सं. 91 से आ.सं. 100 रकबा 0.05 है., आ.सं. 101 रकबा 0.31 है., आ.सं. 98 रकबा 0.26 है. आ.सं. 99 रकबा 0.44 है. किता 4 रकबा 1.06 है. में प्रार्थी का नाम खेंगार पिता भगवान ब्राहम्ण के बजाय गोपीलाल पिता भगवानलाल ब्राहम्ण सा. देह अंकित किया जावे। उक्त निर्णय से भूमि के रकबा एवं नक्शा में किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं होगा। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.13 14:01:04 IST
Reason: SelfAttested